रिहन्द जल विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश को विद्युत

998. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की रिहन्द जल विद्युत परियोजना के विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का 15 प्रतिशत हिस्सा है और उस राज्य को अपना हिस्सा पिछले कई वर्षों से नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को उसका हिस्सा कब दिलाया जाये ; और उस राज्य को पहले न दिये गये हिस्से की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान मध्य प्रदेश के हजारों गरीब आदिवासी विस्थापित हुए थे और उन्हें अब तक सही प्रकार से बसाया नहीं गया है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) रिहन्द परियोजना की विद्युत की भागीदारी के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच हुए समझौते में यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को रिहन्द परियोजना की विद्युत में से उसके हिस्से की सप्लाई न कर पाने की अवस्था में पारस्परिक सहमति से इस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मामले का समाधान उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से किया जाना है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

999. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने राजगढ़ झाबुआ, गुना और ग्वालियर में स्थापित की जाने वाली चार गैस-आधारित विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने 27 अक्तूबर 1990 के अपने पत्र के माध्यम से तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से यह अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली ग्वालियर परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जाये, यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने राजगढ़ झाबुआ, गुना और ग्वालियर में उपस्थित 4 गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए अक्तूबर 1988 में प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। प्रस्तावों में प्रत्येक स्थान पर 450 मे०वा. (3-100मे०वा. गैस टर्बाइन+1×150प.वा. स्टीम टर्बाइन) प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इन स्कीमों के लिए गैस की उपलब्धता और जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई हैं। इसलिए के. वि.प्रा. में इन परियोजनाओं पर कारवाई नहीं की जा रही हैं और तदनुसार 17-11-89 को मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को भी सूचित कर दिया गया है। तदोपरान्त ग्वालियर जीटीसीसी 817 मेवा. (4×131 3मेवा. गैस टर्बाइन+21×46मेवा.स्टीम